1. भैराराम पुत्र श्री रूगाराम
2. दगाराम पुत्र श्री रूगाराम
3. अमृतलाल पुत्र श्री मियाराम
4. बरजुदेवी पत्नी श्री मियाराम
5. मोतीराम पुत्र श्री मीयाराम नाबालिक वली माता बरजु देवी पत्नी श्री मियाराम जाति जाट निवासी ग्राम माण्डियाई खुर्द तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खींवड

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

निर्णय

दिनांक 3/8/21

प्रार्थी की ओर से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 01 से 05 की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 10 रकबा 0.7770 हेक्टेयर खसरा सख्या 47/1 रकबा 1.3112 हेक्टर ग्राम माण्डियाई खुर्द जिला जोधपुर में आई हुई है उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सख्या 02 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सख्या 03 से 05 का 1/4 हिस्सा है प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से से काश्त की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए वादपत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है पूर्व मे किए गए विभाजन मे खसरा सख्या 10 मे प्रार्थी के 01 बीघा 04 बिश्वा भूमि अधिक दे रखी है इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे विभाजन नही होने से प्रार्थी अपनी भूमि का विकास कार्य नही करवा पा रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को विभाजन बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ईन्कार हो गए । प्रार्थी ने गाँव के मुख्याणो को ईकट्ठा कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड मे विभाजन बाबत कहा लेकिन अप्रार्थीगण नही माने तथा सडक के

उपखण्ड अधिकारी

पास की भूमि पर कब्जा करके प्रार्थी को बेदखली की धमकी दी। अन्त में प्रार्थी द्वारा ईस्तदुआ में स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के हक अधिकार व कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखदलांजी नही करे।

प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थीगण की ओर से वकालातनामा पेश किया तथा वकालानामा के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सी पी सी का पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति को तलब किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का जबाब पेश किया जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए बताया कि

प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सख्या 01 से 05 की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा सख्या 10 व 47/1 अवश्य ही आई हुई हैं लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर भौतिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा प्रार्थी के हिस्से में प्रार्थी काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण के हिस्से में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने खातेदारी तथा हक हिस्से में टयूबवैल खुदवाने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा उभय पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में हल्का पटवारी के द्वारा दिनॉक 10.03.2021 को मौका देखा गया जिसमें खसरा सख्या 10 तथा खसरा सख्या 47/1 की मौके की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा मौके पर खसरा सख्या 10 में दो टुकडे किए हुए है जिसमें प्रार्थी साजनराम के हिस्से की भूमि पर पूर्व में विद्युत कनेक्शन/टयूबवैल खुदा हुआ होना दर्शाया गया है तथा अप्रार्थी दमाराम के हिस्से की भूमि में भी टयूबवैल खुदा हुआ होना भी दर्शाया गया। इसी प्रकार से खसरा सख्या 10 में भी मौके पर एक हिस्से में दमाराम, अमृतलाल, मोतीराम बरजू देवी का अलग से कब्जा काश्त है तथा दूसरे हिस्से पर प्रार्थी भैराराम व साजनराम का कब्जा काश्त है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर मोके पर अलग से कब्जा काश्त है तथा वर्षो से प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अलग अलग काबिज काश्त है। पूर्व में किए गए विभाजन में खसरा सख्या 10 में प्रार्थी के हिस्समें 01 बीघा 04 बिश्वा भूमि अधिक दे रखी होने की बात को अस्वीकार किया है प्रार्थना पत्र का पद सख्या 05 को अस्वीकार करते हुए बताया कि प्रार्थी का उक्त पद में यह अंकित किया जाना सरासर गलत है कि हाल ही में दिनॉक 15.02.2021 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कब्जा काश्त अनुसार मौके पर विभाजन करवाने का कहा तथा अप्रार्थीगण ने ईन्कार कर दिया हो। जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा मूल वादपत्र में मौके पर हक हिस्से तथा कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु सहमति भी प्रदान कर दी है लेकिन बावजूद इसके प्रार्थी स्वय विभाजन नही करवाकर केवल मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थीगण सख्या 02 के हिस्से में खुदवाई जा रही टयूबवैल को नही खुदवादेने की नियत से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने इस्तदुआ की ।

उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखित बहस पेश की तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त खुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में भी अपना अलग से कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा अप्रार्थीगण का भी अलग से कब्जा होना स्वीकार किया है । जहॉ तक प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त का प्रश्न है उक्त कब्जे की जॉच बाबत मौका रिपोर्ट तलब की जा चुकी है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अलग कब्जा काश्त है। स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने बाबत विधि द्वारा सुस्थापित तीनो बिन्दूओ का विवेचन किया जाना उचित है ।

Scanned with CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला :-

उक्त बिन्दू अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा शेष 3/4 हिस्सा अप्रार्थीगण का है उक्त भूमि में प्रार्थी का भी अलग से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में पूर्व से टयूबवेल खुदी है जो मोका रिपोर्ट में भी स्पष्ट है तथा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त सुदा भूमि में भी पहले से टयूबवेल खुदी हुई है जिसमे अप्रार्थीगण काबिज काश्त है प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त सुदा भूमि मे पूर्व की टयूबवैल में पानी कम है इसलिए अप्रार्थीगण सख्या 02 अपने ही कब्जा काश्त सुदा भूमि में टयूबवैल खुदवा रहे है जिससे प्रार्थीगण को कोई असुविधा नही हो रही है। उक्त विवरण अनुसार प्रार्थी अपने खातेदारी व हक अधिकार सुदा भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा अप्रार्थीगण की मौके पर दूसरी नई टयूबवैल अधुरी खुदी हुई है जिससे अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का उपयोगव उपभोग नही कर पा रहे है। विधि अनुसार किसी भी खातेदारी का अपने खातेदारी व हक अधिकार सुदा भूमि के सुधार बाबत नही रोका जा सकता है। इसलिए उक्त विवरण अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दू :-

चूँकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है जो अलग से काबिज काश्त है पूर्व में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण की टयूबवैल अधुरी खुदी हुई पडी है जिस कारण अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही हैं जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में टयूबवैल सुचालित हो रही है। इसलिए अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी व हक अधिकारो से महरूम हो रहे है। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में तय नही किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन :-

उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त दोनो बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जा चुके हे। इसलिए सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णत किया जाता है।

आदेश

अत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम माण्डियाई खुर्द के खसरा सख्या 10 व 47/1 की भूमि को स्थगन मुक्त किया जाता है।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 3/8/21 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner